(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं0 23 /2009-2014(आर0ई0-2010)

दिनांक: 15 अक्तूबर, 2012

विषयः बांग्लादेश और भारत के बीच मेघालय बॉर्डर पर बॉर्डर हाटों में व्यापार।

सार्वजनिक सूचना सं. 61/2009-2014 (आरई-2010) दिनांक 1 जुलाई, 2011 के अधिक्रमण में और विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 23.10.2010 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) और इस एमओयू के दिनांक 15.05.2012 के परिशिष्ट के अधीन निम्नलिखित व्यवस्था करते हैं-

1. विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधानों के अनुसार, बालियामारी-कलाईचर और लाऊवाघर-बालट की बार्डर हाटों में निम्नलिखित वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी जाएगीः

   i सब्जियां, खाद्य सामग्रियां, फल, मसाले;

   ii लघु वन्य उत्पाद उदाहरणतया बैम्बू, बैम्बू ग्रास, और लकड़ी को छोड़कर झाड़ू;

   iii गमछा, लुंगी आदि जैसे कुटीर उद्योग के उत्पाद;

   iv छोटे कृषिगत घरेलू उपकरण जैसे डाऊ, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी आदि;

   v वस्त्र, मैलामाईन उत्पाद, संसाधित खाद्य सामग्री, फलों का रस, प्रसाधन वस्तुएँ, सौंदर्य प्रसाधन, प्लास्टिक उत्पाद, एल्यूमीनियम उत्पाद, कुकरी आदि।

2. समझौता ज्ञापन के प्रचालनशील दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद-1 के तहत गठित हाट प्रबंधन समिति द्वारा उपर्युक्त मदों की सूची के तहत आने वाली विशिष्ट वस्तुओं से संबंधित सपष्टीकरण दिया जाएगा।

3. विक्रेता जिन्हें बॉर्डर हाटों में अपने उत्पाद बेचने के लिए अनुमति दी जाती है बॉर्डर हाट की अवस्थिति से पांच किमी. परिधि में आने वाले क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। क्रेता स्नैक खाद्य पदार्थों/जूस जैसी तत्काल खपत वाली मदों की पेशकश कर सकते हैं जो कि हाट प्रबंधन समिति द्वारा अनुमत हो।

4. स्थानीय मुद्रा में और/अथवा वस्तु विनिमय आधार पर नामित बार्डर हाटों में वस्तुओं के विनिमय की अनुमति होगी। प्रत्येक व्यक्ति को बंगलादेश/भारत में उत्पादित केवल उतनी वस्तुओं की खरीद करने की अनुमति होगी जो वास्तविक व्यक्ति/परिवार की खपत के लिए तर्क संगत हो। ऐसी खपत का अनुमानित मूल्य किसी खास दिन के लिए 100 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य संबंधित स्थानीय मुद्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित विनियम नामित बार्डर हाट में स्थगित रहेंगे।

6. सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 23.10.2010 के समझौता ज्ञापन के दिनांक 15 मई, 2012 के परिशिष्ट द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाटों के संचालन की व्यवस्था को सुगम बनाया गया है।

(अनुप के0 पूजारी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/93/180/11/ए एम-12/पीसी-2(बी) से जारी)